कार्यालय–प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय कुण्डा, जिला–कबीरधाम, छत्तीसगढ़
E-mail govtcollegekunda10@gmail.com

क्र. 69 स्था./अतिथि व्याख्याता/2024 कुण्डा, दिनांक 21.08.2024

// अतिथि व्याख्याता विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्र. 574/126/आउशि/राज.स्था./2024 नवा रायपुर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3–54/स्था/2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20/06/2024 के परिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय कुण्डा, जिला– कवर्धा, में निम्नलिखित विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदको से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षक सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 27.08.2024 को समय 4:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिये न्युनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षको और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानको के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिये परन्तु अनुसूचति जाति, अनुसूचित जनजाति एंव दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमाः– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थियो को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदो का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संस्था	
		प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक
01	वनस्पति शास्त्र	00	01

टीपः– संबंधित विषयो में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थनांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी–एच.डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।
02. दिनांक **27.08.2024** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है। प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नही किया जावेगा।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय मे प्राप्त आवेदनो पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट www.pgcollegekawardha पर प्रकाशित किया जाएगा।
05. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाये भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा।
06. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगाः–

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
	(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतन मानदेय	1600/– (41,600/प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/–प्रतिमाह अधिकतम)
	(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

07. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता **कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय कुण्डा,वि.ख. कवर्ध जिला–कबीरधाम,** एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

08. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य का महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नही माना जायेगा औ लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंर्तगत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।

09. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

10. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

11. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, छात्रसंघ, चुनाव योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधिया, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन ए मूल्यांकन, नैक मुल्यांकन संबंधी कार्यो में सहयोग प्रदान करेंगे।

12. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायते प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रो में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होगें।

Principal
Naveen Govt. College Kunda
Distt. Kabirdham (C.G.)

प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय कुण्डा
जिला कबीरधाम (छ.ग.)

पृ. कमांक 17/स्था/2024
कुण्डा दिनांक 21.08 .24

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर छ.ग. को सादर प्रेषित।
2. प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय आचार्य पंथ श्री गृंन्ध मुनि साहब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सादर प्रेषित।

Principal
Naveen Govt. College Kunda
Distt. Kabirdham (C.G.)

प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय कुण्डा
जिला कबीरधाम (छ.ग.)